**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू**
**पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0**

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | दायरा तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 04/2021 | प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 CPC | 22.01.2021 | 20.03.2024 |

मंगतुखां पुत्र स्व. मदारी खां जाति कायमखानी निवासी गांव जसरासर तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. नूर बानो पत्नी भंवरू खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
3. हनीफ खां पुत्र स्व. भंवरू खां पुत्र मदारी खां जाती कायमखानी निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू
4. जन्नत बानो पुत्री स्व. भंवरू खां पुत्र मदारी खां जाती कायमखानी निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरू

—अप्रार्थीगण—

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी व धारा 151 सी.पी.सी.**

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह प्रार्थी

**आदेश**

प्रार्थीनी (वादीनी) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 वा धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेद किया है कि प्रार्थी मंगतु खां पुत्र मदारी खां जो एक ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति है प्रार्थी ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता भीमनाथ सिद्ध को वकील किया था प्रार्थी को उक्त दावा साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी के प्रक्रम पर रहा परन्तु प्रार्थी के वकील के द्वारा मुझे लिखित व दूरभाष पर उक्त दावे बाबत् कोई तारीख पेशी व साक्ष्य बाबत् कोई सूचना नहीं दी अतः प्रार्थी का दावा दिनांक 17.05.2016 को न्यायालय द्वारा वकील की अनुपस्थिति में दावे को डोप कर दिया पत्रावली दाखिल दफतर कर दी प्रार्थी/वादी ने स्वयं हाजिर होकर वकील साहब को पुछा तो उन्होनें कहा कि आपका दावा चल रहा है वहां कार्यवाही हो रही है।

दिनांक 10.12.2020 को मुझे वादी/प्रार्थी द्वारा अपने वकील साहब से सरदारशहर जाकर सम्पर्क किया गया तो वकी साहब ने कहा कि आपके दावे बाबत मुझे जानकारी कि आपका दावा खारिज हो गया है तब मुझे वादी द्वारा वकील साहब को कहा मेरे दावे को ऐसे कैसे खारिज हो गया आपने [illegible] को कोई सूचना नहीं दी मैं बिल्कुल अनपढ व्यक्ति हूं वकील ने मुझ वादी को [illegible] नहीं दी मेरी पत्रावली व मेरे द्वारा किये गये असल दस्तावेजात मुझ वादी को वापिस लौटा देवें तब वकील साहब ने कहा कि मैंने आपकी पत्रावली व दस्तावेजात नष्ट कर दिये हैं तब मैंने न्यायालय [illegible]ओ. कोर्ट चूरू में आकर दिनांक 11.12.2020 को दावा की पत्रावली की नकल लेने का आवेदन श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जिसकी नकल मुझ वादी को दिनांक 14.12.2020 को प्राप्त हुई तब मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:12 IST
Reason: SelfAttested

वादी को यह ज्ञान हुआ कि मेरा दावा दिनांक 17.05.2016 को माननीय न्यायालय के द्वारा स्वतः वकील की अनुपस्थिति में डोप कर दाखिल दफतर पत्रावली कर दी गई है।

प्रार्थी वादी का दावा न्यायालय द्वारा उनके वकील की अनुपस्थिति में डोप किया गया हे जबकि कानूनन किसी दावे को डिक्री या खारिज किया जाता है। दावे के डोप की कार्यवाही स्वतः ही न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती ।

प्रार्थी वादी एक अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति है प्रार्थी को वकील के द्वारा सूचना नहीं देने की लापरवाही का खामियाजा प्रार्थी वादी के द्वारा न्यायहित में नहीं भुगताया जा सकता उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी वादी के अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने एवं इसकी जानकारी मुझ वादी को नहीं देने के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व न्यायालय के पक्षकार साधारणतया काश्तकार होते है जो विधी के प्रावधानों से अनभिज्ञ भी होते है तथा वह पूर्णतया अपने अधिवक्ता पर अविलम्बित रहते है। और यदि अधिवक्ता ने त्रुटीवश या जानबूझकर मुकदमें में उसके विरोध में हुई कार्यवाही की जानकारी पक्षकार को नहीं दी है। तो उसका दण्ड कानून से अनभिज्ञ पक्षकार को नहीं दिया जा सकता ऐसा उच्चतम न्यायालय ने भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

प्रार्थी वादी को प्रकरण के तथ्यों निर्धारित प्रावधानों को न्याय की दृष्टि से वादी के बाद कंटेस्ट करने के अधिकार से वंचित रहे जाने व वाद का गुणावगुण पर सुनवाई होना अति आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वादी को ज्ञान होने की तारीख से 14.12.2020 से अन्दरमियाद पेश किया जा रहा है। जो उचित शुल्क पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित 151 सी.पी.सी व दफा 5 मियाद अधिनियम मय सपथ पत्र पेश कर प्रस्तुत है कि प्रार्थी के वादी को पुनः वाजवे नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. व दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत करने पर प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1, 3,4 पर तामील होने के बावजूद उनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अधिवक्ता प्रार्थी की एक पखीय बह सुनी गई। प्रार्थी का दावा 13/2011 से चल रहा था जिसे 17.05.2016 को वकील की अनुपस्थिति में डोप कर दिया गया दावा न्यायाल उपखण्ड अधिकारी चूरू में चल रहा था पता चलने वकील से पुछने पर वकली ने कहा कि मुझे आपके दावे के बारे में जानकारी नहीं है आपका दावा खारिज हो चुका है प्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति है पता चलने पर प्रार्थी ने 11. 12.2020 की नकल हेतु न्यायालय एस.डी.एम. कोर्ट चूरू में आवेदन किया जिसकी नकल प्रार्थी को 14.12.2020 को प्राप्त हुई प्रार्थी ने 21.01.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय मियाद माफी शपथ–पत्र पेश किया। प्रा. पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार का है तथा प्रार्थी एक अनपढ काश्तकार है इसलिए अधिवक्ता की त्रुटी का दंड अनभिज्ञ पक्षकार को नहीं दिया जावे वकील प्रार्थी ने इस सम्बन्ध आर.आर.डी. अप्रेल 2004 purushota[illegible] Vs Lrs Of bhikharchand and ors. – (79) का दृष्टान्त पेश किया जिसका ससम्मान ध्यान[illegible] अवलोकन किया गया है।

दिनांक 17.05.2016 को [illegible] के अभाव में दावा वादी डोप किया गया है। निर्णय की प्रति दिनांक [illegible] को प्राप्त हुई है। अधिवक्ता वादी की ओर से वादी को दिये गये नोटिस आदि का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ना ही वादी की ओर से दावा खारिज होने पर वादी को जानकारी दी गई है। एसी स्थिति में इस प्रकार लागू आदेश को यदि कायम रहने दिया जाता है तो न्याय के उद्येश्य को विफल कर देगा। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:12 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में न्यायालय का विनम्र मत है कि जब भी सारभूत न्याय और तकनीकी विचार एक–दूसरे के विरूद्ध खड़े हों तो कानून की अदालतों को सारवान न्याय को या तो भागने नहीं देना चाहिए या केवल तकनीकी पहलुओं पर फिसलने नहीं देना चाहिए ऐसी स्थिति में यह सर्वविदित है कि राजस्व न्यायालय में पक्षकार सामान्यतया काश्तकार होते है जो विधी के प्रावधानों से अनभिज्ञ होते भी होते है तथा अपने अधिवक्ताओं पर पूर्णतः अविलम्ब रहते हैं यदि अधिवक्ता ने जानबूझकर या त्रुटीवश अधिवक्ता ने मुकदमें में उसके विरूद्ध हुई कार्यवाही की जानकारी पक्षकार को नहीं दी है तो उसका दण्ड कानून से अनभिज्ञ पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना –पत्र मियाद अधिनियम का पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी को पता चलते ही प्रार्थी ने दावा रिस्टोर किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत कर दिया है। तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त से स्वीकार किया जाना उचित मानता है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के मूल दावा को पुनः वाजवे नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24 माह मार्च सन् 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपाल मजिस्टेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:12 IST
Reason: SelfAttested